न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

हरजीलाल बनाम सरकारी

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं0 96 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4-9-18	अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण में अहलमल झुंझुनू ने जाहिर किया कि अपील पेश होने के पश्चात प्रकरण में कैवियट पेश हुई है। कैवियट कर्ता के अनुपस्थित रहने पर वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा प्रकरण संख्या 63/2017 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 की कियान्विति आगामी तिथि तक स्थगित की जाती है। उभयपक्ष को आगामी तिथि तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 32 मौजा भडून्दा कलां तहसील झुंझुनू की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रेस्पोडेंट के नोटिस जारी हो तहत की पत्रावली तलब हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.10.2018 को पेश हों। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)	क्रमांक 3721 दि. 4.9.18 द्वारा इत्तला क्रमांक 3722-37 दि. 4.9.18 के नोटिस जारी
		अपील चलाना नहीं चाहता हरजीलाल
24-9-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरुप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) 24.9.18 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)	